भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 998

28 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

प्रौद्योगिकी-आधारित खरीद दक्षता और ऑनलाइन स्टॉक सत्यापन

998. श्री अमर पाल मौर्य:
श्री मयंककुमार नायक:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री बृज लाल:
श्री मनन कुमार मिश्र:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री सुभाष बराला:
श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं और धान की रिसाव-मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय खरीद डैशबोर्ड पर आरंभ से अंत तक डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानों को एकीकृत करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ख) क्या चावल मिलों में पड़े बिना कुटे धान के स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए राज्यों में स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है;
(ग) क्या रियल-टाइम डैशबोर्ड आधारित निगरानी के उपयोग से लेखा संबंधी अनियमितताओं में कमी आई है और सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) वर्ष 2021-22 से खाद्यान्न की खरीद अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के राज्य खाद्यान्न खरीद पोर्टलों (एसएफपीपी) के माध्यम से की जाती है। एसएफपीपी को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) से एकीकृत किया गया है। इससे किसान-वार वस्तु खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान, केंद्रीय पूल में वितरित कस्टमंड मिल्ड चावल (सीएमआर), मिलों के पास धान की मासिक उपलब्धता मिल-वार; वितरित मासिक सीएमआर, मिल-वार; आदि से संबंधित सूचनाओं का एक भंडार तैयार हुआ है।

...2/-

(ख): बिना कुटे धान के भौतिक सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, धान की पिसाई की अवधि बढ़ाने की मांग करते समय बिना कुटे धान के भौतिक सत्यापन के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। राज्य सरकार की एजेंसियों और एफसीआई की क्षेत्र निरीक्षण टीमों द्वारा डेटा/अवलोकन दर्ज करने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित की गई है। मिलिंग/सीएमआर डिलीवरी अवधि विस्तार चाहने वाले राज्यों में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है।

(ग) एवं (घ): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी खरीदार राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम सीमा मापदंडों (एमटीपी) का एक समूह निर्धारित किया है। एमटीपी में ऑनलाइन किसान पंजीकरण, किसान पंजीकरण डेटा का भूमि अभिलेखों के साथ मिलान, मंडी/खरीद केंद्र संचालन का डिजिटलीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से एमएसपी का अंतरण शामिल है। इसके अलावा किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अतिरिक्त एमटीपी, मिलों के बिजली खपत डेटा को पिसी हुई मात्रा से जोड़ना, वाहन सारथी पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्न परिवहन के लिए लगे वाहनों के संचलन पर नज़र रखना आदि से खाद्यान्न खरीद कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है। सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन में बिना कुटे धान के सत्यापन की प्रक्रिया को मिलों के साथ भौगोलिक रूप से सीमित करने की सुविधा प्रदान की गई है। बिना कुटे धान के भौतिक सत्यापन के लिए विकसित ऑनलाइन मॉड्यूल (ऊपर उल्लिखित) के लिए डेटा सीएफपीपी से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार, राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा की सटीकता में सुधार होता है।
